**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 166**

**6 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: किसानों के लिए योजनाएं।**

**166. डा० वी० मैत्रेयन :**

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले तथा ऋणग्रस्‍त किसानों को आत्‍महत्‍या करने से रोकने के लिए उनकी सहायता करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं और किए गए लाभकारी उपायों तथा किसानों की दुर्दशा में सुधार करने के लिए किए गए उपचारात्‍मक उपायों का ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या सरकार का ऐसी योजनाओं को और अधिक उपयोगी और समावेशी बनाने के लिए उनका पुनर्गठन तथा सुधार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है तथा इन योजनाओं के कार्यान्‍वयन का राज्‍य-वार ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

1. वर्ष 2010-11 की कृषि संगणना के अनुसार भारत में छोटे तथा सीमान्‍त किसानों (इनमें से कई गरीबी रेखा से नीचे हैं) द्वारा दो एकड़ से कम की भूमि पर कृषि करने वाले किसानों की कुल भू-जोत का 85 प्रतिशत बनता है। कृषि क्षेत्र में इस बात के महत्‍व पर विचार करते हुए सरकार के विभिन्‍न कार्यक्रमों/स्‍कीमों के निर्धारण एवं कार्यान्‍वयन में पूरा ध्‍यान दिया गया है। सरकार कृषक समुदाय के कल्‍याण और कृषि क्षेत्र को एक आकर्षक व्‍यवसाय बनाने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। कृषि के लिए केन्‍द्र के योजना परिव्‍यय को सरकार ने 11वीं योजना में 61,527.90 करोड़ रुपये में पर्याप्‍त वृद्धि करके 12वीं योजना में 1,34,746 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2013-14 के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग का बजट प्रावधान 21,609 करोड़ रुपये है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमश:17,122 करोड़ रुपये तथा 20,208 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था।

किसानों और विशेषकर छोटे तथा सीमान्‍त किसानों के कल्‍याण के लिए चलाये जाने वाले महत्‍वपूर्ण योजनाएं तथा कार्यक्रम हैं : राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत कृषक आय सुरक्षा योजना (बीमा कवर के माध्‍यम से जोखिम को शामिल किया गया है), मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस), मण्‍डी हस्‍तक्षेप योजना (एमआईएस), राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन, विधिवत आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्‍त करने के लिए कृषक उत्‍पादक के समूहों/छोटे तथा सीमान्‍त किसानों के स्‍वयंसहायता समूहों का वित्‍त पोषण, विस्‍तार सेवाओं को बढ़ाना, फसल विविधीकरण आदि। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रुप से आदानों की सोर्सिंग में इकोनोमीज ऑफ स्‍केल के लाभ प्राप्‍त करने तथा अपने उत्‍पादों का विपणन करने के लिए समूह बनाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाता है। किसानों को रियायती दरों पर बीज, उर्वरक, कृषि मशीनरी और उपकरण आदि के रूप में आदान दिए जा रहे हैं। किसानों को फार्म ऋणों पर 4 प्रतिशत की रियायती ब्‍याज दर पर संस्‍थागत ऋण भी मुहैया कराया जाता है बशर्ते वे अपने ऋण समय पर अदा करें।

1. **एवं (ग):** सरकार ने सिद्धांत: स्‍कीमों/कार्यक्रमों को पांच मिशनों में पुन: संरचित करने, पांच केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीमों तथा एक राज्‍य योजना स्‍कीम को कार्यान्‍वित हेतु अनुमोदित किया है ताकि संकेन्‍द्रित दृष्‍टिकोण अपनाया जा सके और अतिव्‍याप्‍ति से बचा जा सके।

कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि के विकास के लिए विभिन्‍न योजनाओं के तहत राज्‍यों के लिए जारी राशि का विवरण अनुबंध पर है।

**अनुबंध**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 के दौरान क्रियान्‍वित की जा रही योजनाओं को जारी की गई राज्‍यवार निधि का विवरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  **` करोड़ में** |
|   |  | **कुल** |
| **क्र.सं.** | **राज्‍यों का नाम** | **2011-12** | **2012-13** | **2013-14\*** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1307.11 | 1191.54 | 501.32 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 83.47 | 117.16 | 55.46 |
| 3 | असम | 297.61 | 484.65 | 332.16 |
| 4 | बिहार | 701.38 | 930.77 | 324.89 |
| 5 | छत्‍तीसगढ़  | 437.06 | 787.28 | 327.81 |
| 6 | गोआ | 27.41 | 36.52 | 13.11 |
| 7 | गुजरात | 901.53 | 1025.24 | 581.17 |
| 8 | हरियाणा | 332.62 | 362.16 | 232.24 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 168.60 | 137.46 | 60.34 |
| 10 | जम्‍मु और कश्‍मीर | 132.74 | 159.56 | 87.41 |
| 11 | झारखण्‍ड | 265.07 | 350.57 | 235.43 |
| 12 | कर्नाटक | 987.39 | 981.75 | 590.56 |
| 13 | केरल | 262.77 | 318.48 | 136.22 |
| 14 | मध्‍य प्रदेश | 858.86 | 938.54 | 543.16 |
| 15 | महाराष्‍ट्र | 1416.98 | 1733.10 | 1422.98 |
| 16 | मणिपुर  | 111.87 | 152.72 | 77.85 |
| 17 | मेघालय  | 77.27 | 86.48 | 36.92 |
| 18 | मिजोरम  | 117.04 | 275.22 | 107.17 |
| 19 | नागालैंड | 130.56 | 190.13 | 66.19 |
| 20 | ओडिशा | 598.07 | 687.08 | 379.55 |
| 21 | पंजाब  | 260.35 | 210.55 | 262.99 |
| 22 | राजस्‍थान | 1065.14 | 720.54 | 599.88 |
| 23 | सिक्‍किम | 93.56 | 86.49 | 35.46 |
| 24 | तमिलनाडु | 571.27 | 852.58 | 279.46 |
| 25 | त्रिपुरा | 91.46 | 146.06 | 83.56 |
| 26 | उत्‍तर प्रदेश  | 1215.99 | 726.32 | 752.96 |
| 27 | उत्‍तराखण्‍ड  | 184.64 | 55.90 | 68.02 |
| 28 | पश्‍चिम बंगाल | 572.21 | 480.66 | 285.73 |
|   | **कुल** | **13270.03** | **14225.55** | **8480.00** |
| **\* 1.10.2013 तक** |  |  |  |